राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2342/2024 कैलाश चंद्र यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर। 5. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	18.07.2024	30.06.2020	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
2.	2343/2024 सुरेन्द्र कुमार जलूथरिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कॉपरेटिव विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)। 3. रजिस्ट्रार, राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी, नेहरू शेखर भवन, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	18.07.2024	30.06.2018	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
3.	2344/2024 झांसी राम मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)। 3. रजिस्ट्रार, राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी, नेहरू शेखर भवन, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	18.07.2024	30.06.2012	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
4.	2357/2024 शौकत अली	1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक क.–4 विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर। 2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 3. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग भरतपुर। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)	22.07.2024	30.06.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
5.	2361/2024 कन्हैया लाल अहिर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	22.07.2024	30.06.2012	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
6.	2364/2024 प्रभू लाल सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर। 3. उप कोष अधिकारी, सिकराई, दौसा। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)	22.07.2024	30.06.2013	श्री सुनिल कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक
7.	2366/2024 रामकरण	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।	22.07.2024	30.06.2020	श्री सिया राम अग्रवाल, अभिभाषक

		3. कमांडेट, 5वीं बटालियन, आरएसी, घाट गेट, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।			
8.	2367/2024 गोविंद सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर। 3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जीपीओ, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।	22.07.2024	30.06.2020	श्री सिया राम अग्रवाल, अभिभाषक
9.	2368/2024 कैलाश चंद्र	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर। 3. कमांडेट, 5वीं बटालियन, आरएसी, घाट गेट, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।	22.07.2024	**30.06.2024**	श्री पविकांत अग्रवाल, अभिभाषक

आदेश की दिनांक :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2342/2024 कैलाश चंद्र यादव बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को उसकी सेवा के अंतिम वर्ष यानी दिनांक 1.7.2019 से 30.6.2020 तक के पेंशन लाभ की गणना कर देय अनुमानित वेतन वृद्धि देने के प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे एवं राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 45 के अनुसार पेंशन लाभ और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति शिक्षा विभाग हुई थी। अपीलार्थी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर शिक्षक ग्रेड III लेवल–2 के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंती, ब्लॉक बहरोड़, जिला अलवर से दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त

हो गया और सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपीलकर्ता का पीपीओ जारी किया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद अपीलार्थी को वार्षिक ग्रेड वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–1) छठे वेतन आयोग के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियमों में संशोधन करके सभी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय की गई और उक्त संशोधन के मद्देनजर, अपीलकर्ता को अंतिम वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया गया जबकि उन्होंने सेवा में पूरा एक वर्ष पूरा कर लिया। P. Ayyamperumal (Supra) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार कर्मचारियों ने एक वर्ष पूरा कर लिया था। 30 जून को सेवा का पूरा एक वर्ष की पूरी सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। इस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका है। इसके बाद गोपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले का पालन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.07.2023 को समान निर्णय पारित किया। उपरोक्त निर्णय के आलोक में हाल ही में माननीय न्यायाधिकरण ने रामकेश मीना बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 12.6.2024 के आदेश के माध्यम से समान प्रकृति के प्रकरण निर्णित किया है। (अपील संख्या 1997/2024) और अन्य सजातीय अपील और किशन लाल सैनी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में। (अपील क्रमांक 1944/2024) (अनुलग्नक–2)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को उसकी सेवा के अंतिम वर्ष यानी दिनांक 1.7.2019 से 30.6.2020 तक के पेंशन लाभ की गणना कर देय अनुमानित वेतन वृद्धि देने के प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे एवं राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 45 के अनुसार पेंशन लाभ और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार

अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त समस्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2342/2024 कैलाश चंद्र यादव बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)